'सेफ क्लिक 2.0' अभियान शुरू

साइबर सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने का आह्वान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि साइबर अपराध आज एक अदृश्य खतरे के रूप में समाज के सामने खड़ा है, जिससे बचाव के लिए हर नागरिक का डिजिटल रूप से जागरूक होना आवश्यक है।

उन्होंने प्रदेशवासियों से साइबर सुरक्षा को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान करते हुए कहा कि जागरूकता, सावधानी और सहभागिता ही साइबर अपराधों से बचाव के तीन प्रमुख सूत्र हैं। रवीन्द्र भवन में आयोजित राज्यव्यापी साइबर जागरूकता अभियान 'सेफ क्लिक 2.0' के शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट, डीपफेक, फर्जी प्रोफाइल, ओटीपी धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड और फर्जी निवेश लिंक जैसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे

में अनजान लिंक पर क्लिक न करें और ओटीपी या बैंकिंग जानकारी किसी से साझा न करें। किसी भी प्रकार की साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराएं। मुख्यमंत्री ने साइबर जागरूकता अभियान के पोस्टर, स्कूली बच्चों के लिए तैयार बुकलेट और अभियान के वीडियो का विमोचन भी किया। उन्होंने साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह अभियान 24 जून से 8 जुलाई तक प्रदेश के सभी 55 जिलों, 10 संभागों और 50 हजार से अधिक गांवों में चलाया जाएगा।

डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश पुलिस साइबर अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर रही है और संकट के समय हमेशा संकटमोचक की भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष साइबर जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से 33 लाख से अधिक नागरिकों को जागरूक किया गया था। कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना ने कहा कि साइबर अपराध केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौती है। उन्होंने बताया कि साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए ई-जीरो एफआईआर, हेल्पलाइन 1930 और विशेष अभियानों के माध्यम से लगातार कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2025 में साइबर धोखाधड़ी से जुड़ी 135 करोड़ रुपये की राशि होल्ड कर पीड़ितों को राहत दिलाई गई।

अभियान के तहत स्कूलों, बैंकों, बाजारों, पंचायतों और धार्मिक स्थलों पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने विद्यार्थियों और ग्रामीणों को किया जागरूक

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः साइबर अपराधों की रोकथाम एवं आमजन में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश द्वारा शुरू किए गए 'सेफ क्लिक 2.0' अभियान का शुभारंभ भोपाल देहात के थाना परवलिया सड़क क्षेत्र में किया गया। अभियान का शुभारंभ पुलिस अधीक्षक भोपाल (देहात) पंकज कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में हुआ।

अभियान के तहत सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, तारासेवनिया में विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एसपी पंकज कुमार पाण्डेय, एसडीओपी ईटखेड़ी सुश्री मंजु चौहान, थाना प्रभारी परवलिया सड़क उपनिरीक्षक हरिशंकर वर्मा सहित पुलिस स्टाफ उपस्थित रहा।

कार्यक्रम में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के लगभग 320 छात्र-छात्राओं और 15 शिक्षकों को साइबर अपराधों से बचाव संबंधी

जानकारी दी गई। एसपी पाण्डेय ने विद्यार्थियों को बताया कि साइबर अपराधी फर्जी लिंक, ओटीपी फ्रॉड, सोशल मीडिया हैकिंग, ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड, फेक जॉब ऑफर, बैंकिंग फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसे तरीकों से लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। अभियान की थीम 'रुको, सोचो, एक्शन लो' के तहत वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से साइबर सुरक्षा के प्रभावी उपाय समझाए गए।

विद्यार्थियों और शिक्षकों को अज्ञात लिंक पर क्लिक नहीं करने, ओटीपी, पासवर्ड एवं बैंकिंग जानकारी साझा नहीं करने तथा सोशल मीडिया पर सतर्क रहने की सलाह दी गई।

साथ ही साइबर ठगी की स्थिति में राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 एवं राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम के बाद एसपी पाण्डेय ने थाना परवलिया सड़क पहुंचकर ग्राम परवलिया के लगभग 50 ग्रामीणों से संवाद किया और उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव एवं डिजिटल सुरक्षा के संबंध में जागरूक किया।

समलैंगिक संबंध बनाने की कोशिश में युवक की हत्या

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः कटारा हिल्स थाना पुलिस ने करीब एक माह पुराने ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 29 मई 2026 को झागरिया हाईवे स्थित इकोलॉजिकल पार्क के पास एक युवक का लगभग पांच दिन पुराना शव बरामद हुआ था। मृतक की पहचान मंडीदीप निवासी राजेश राय के रूप में हुई थी।

जांच के दौरान घटनास्थल से मृतक का मोबाइल फोन गायब मिला। पुलिस ने मोबाइल के आईएमईआई नंबर और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) के आधार पर तकनीकी जांच शुरू की। जांच में मोबाइल अजय मियाना नामक व्यक्ति के पास मिला। उससे पूछताछ करने पर हत्या की गुत्थी सुलझ गई।

पुलिस के मुताबिक आरोपी अजय सिंह मेवाड़ा समलैंगिक संबंध बनाने का आदी था। आरोपी ने राजेश राय को अपने संपर्क में लेकर सुनसान स्थान पर बुलाया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने राजेश का सिर पत्थर पर पटक दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

हत्या के बाद आरोपी मृतक का मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया था। मोबाइल की लोकेशन और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आरोपी तक पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया।

बिना हेलमेट भाजयुमो नेता को रोकने पर विवाद, ट्रैफिक टीआई हटाए गए

पूरे मामले की जांच के आदेश

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट वाहन रोकने पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। कंट्रोल रूम तिराहे पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के जिला उपाध्यक्ष को रोके जाने के बाद मामला इतना बढ़ गया कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन करते हुए पुलिस कमिश्नर कार्यालय का घेराव कर दिया।

भाजयुमो नेता सौरभ खटीक बिना हेलमेट दोपहिया वाहन से गुजर रहे थे, जिन्हें ट्रैफिक पुलिस ने नियमों के तहत रोकने की कोशिश की। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच बहस हो गई। विवाद बढ़ने पर कार्यकर्ताओं को मौके पर बुला लिया गया और बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। थोड़ी ही देर में प्रदर्शनकारियों ने ट्रैफिक पुलिस पर अभद्र व्यवहार और अवैध वसूली के आरोप लगाते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नर कार्यालय की ओर बढ़ गए, जहां मिंटो हॉल के पास पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वे आगे बढ़ते हुए कार्यालय तक पहुंच गए। पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। देर रात प्रशासनिक आदेश के तहत एमपी नगर के ट्रैफिक थाना प्रभारी इरशाद अली खान को उनके पद से हटाकर वाहन दुर्घटना सेल और सीसीटीवी सर्विलांस शाखा में भेज दिया गया।

वहीं ट्रैफिक पुलिस ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वाहन चालक द्वारा चाबी सौंपने से इंकार और बहस के कारण स्थिति बिगड़ी। पुलिस का कहना है कि किसी प्रकार की अभद्रता या धमकी नहीं दी गई।

फिलहाल पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जबकि दिनभर चले विरोध और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर शहर में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है।

गौतम नगर पुलिस ने तीन फरार इनामी बदमाशों को दबोचा

आरोपियों पर था 2-2 हजार का इनाम,कई गंभीर मामलों में थे आरोपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना गौतम नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन फरार इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों पर पुलिस उपायुक्त जोन-03 द्वारा दो-दो हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।

पुलिस आयुक्त संजय कुमार सिंह के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेन्द्र सिंह चौहान, पुलिस उपायुक्त जोन-03 आयुष गुप्ता, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त श्रीमती शालिनी दीक्षित एवं सहायक पुलिस आयुक्त राकेश सिंह बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गौतम नगर निरीक्षक महेन्द्र सिंह ठाकुर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई थी।

पुलिस के अनुसार थाना गौतम नगर में दर्ज विभिन्न आपराधिक मामलों में फरार चल रहे आरोपी विवेक यादव (24), करण साहू (21) और सुबुर आरटीओ उर्फ सुबुर शेख (20) घटना के बाद से गिरफ्तारी से बच रहे थे।

23 जून 2026 को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी, आर्म्स एक्ट तथा अन्य गंभीर धाराओं के कई प्रकरण विभिन्न थानों में दर्ज हैं। आरोपियों का लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और वे क्षेत्र में सक्रिय अपराधियों के रूप में चिन्हित थे।

चिकित्सा शिक्षा कर्मचारियों की मांगों के समर्थन में गेट मीटिंग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः चिकित्सा शिक्षा कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा कर्मचारियों की लंबित मांगों के समर्थन में चलाए जा रहे चरणबद्ध आंदोलन की श्रृंखला में आज द्वितीय गेट मीटिंग गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय, एडमिन ब्लॉक के समक्ष आयोजित की गई।

गेट मीटिंग में कर्मचारियों ने सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होकर आंदोलन को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया। बैठक में अकाउंट्स स्थापना शाखा, स्टूडेंट सेक्शन, विधानसभा सेक्शन, आवक-जावक शाखा, क्लेरिकल स्टाफ, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ, सोशल वर्कर तथा अन्य संवर्गों के कर्मचारियों ने सक्रिय सहभागिता की। गेट मीटिंग में कर्मचारियों को यूनिक एम्प्लॉयी कोड प्रदान करने, 01 जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने तथा विभिन्न संवर्गों की पे-ग्रेड संबंधी विसंगतियों के निराकरण की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की ये मांगें पूर्णतः न्यायोचित हैं तथा यदि इनका शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो आंदोलन को और अधिक व्यापक एवं प्रभावी रूप दिया जाएगा। कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री राजन नायर, मेडिकल एंड हेल्थ नर्सिंग एसोसिएशन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष धनराज नगर, पैरामेडिकल एम्प्लॉइज एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष बसंत कुर्मी, चिकित्सा शिक्षा कर्मचारी कल्याण समिति के प्रदेश सचिव नरेश बिल्लौरे, जिला अध्यक्ष सर्वेश जोशी, स्टेट फार्मासिस्ट एसोसिएशन के ज्ञानेन्द्र, सोशल वर्कर संवर्ग से मनीष शर्मा तथा मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ के पंकज संगत सहित विभिन संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

82 निजी कॉलेजों की मान्यता पर सवाल

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और विवि को जारी किया नोटिस

कॉलेजों में कथित अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के आरोप

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। भोपाल स्थित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध 82 निजी कॉलेजों में कथित अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन के आरोपों पर हाई कोर्ट ने राज्य शासन, विश्वविद्यालय प्रबंधन और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की युगलपीठ में हुई। अदालत ने याचिका में लगाए गए आरोपों और प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए सभी पक्षों को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को निर्धारित की गई है।

यह जनहित याचिका जबलपुर निवासी भैयालाल द्वारा दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय से संबद्ध करीब 82 निजी कॉलेज निर्धारित मानकों और नियमों का पालन किए बिना संचालित किए जा रहे हैं। कई संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं और आवश्यक अधोसंरचना का अभाव होने के बावजूद उन्हें मान्यता और संबद्धता प्रदान की गई है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि संबंधित कॉलेजों में नियमों की अनदेखी कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी इन अनियमितताओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया है।

हाई कोर्ट द्वारा जारी नोटिस के बाद अब राज्य शासन और विश्वविद्यालय प्रबंधन को अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। 10 अगस्त को होने वाली सुनवाई में अदालत मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे की कार्रवाई और संभावित निर्देशों पर फैसला कर सकती है।

मंत्री राकेश शुक्ला ने सुनीं कार्यकर्ताओं की समस्याएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेशभर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं एवं आमजनों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जनसमस्याओं को सुना और कई मामलों का त्वरित समाधान कराया। श्री शुक्ला ने कहा कि जनता की समस्याओं का शीघ्र निराकरण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

महाविद्यालयों में होंगे मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम

नप्र, भोपाल : उच्च शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र से प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी किए हैं। यह कार्यक्रम इंडक्शन प्रक्रिया का हिस्सा होगा।

विभाग के अनुसार 1 जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाने के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।

इनमें तनाव प्रबंधन, समय प्रबंधन, सकारात्मक सोच, भावनात्मक संतुलन, ध्यान तथा जीवन कौशल जैसे विषयों पर जानकारी दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों को काउंसलिंग और सहायता सेवाओं का लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान एंटी-रैगिंग नियमों, शिकायत निवारण तंत्र, मेंटर-मेंटी व्यवस्था, साइबर बुलिंग से बचाव और जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार के संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। महाविद्यालयों को स्थानीय मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को आमंत्रित करने तथा विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

'फिजिक्स वाला' पर गिरी गाज नगर निगम ने लगाया लाखों का जुर्माना

नप्र, भोपाल : राजधानी में देश की प्रमुख कोचिंग संस्थानों में शामिल 'फिजिक्स वाला' पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए का जुर्माना लगाया है। नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग और अग्निशमन विभाग की संयुक्त जांच में नियमों के उल्लंघन और सुरक्षा व्यवस्थाओं में खामियां सामने आई हैं।

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार, संस्थान द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर की गई ब्रांडिंग और प्रचार सामग्री के कारण सार्वजनिक दीवारों पर किए गए सौंदर्यीकरण कार्य प्रभावित हुए, जिससे निगम को आर्थिक नुकसान हुआ है। इस आधार पर करीब 4 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना निर्धारित किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि लगभग एक माह पहले संस्थान को नोटिस जारी कर नियमों के पालन की चेतावनी दी गई थी। इसके बावजूद सुधार न होने पर कार्रवाई की गई।

हाल ही में अग्निशमन विभाग की जांच में भी कई गंभीर खामियां सामने आईं। निरीक्षण के दौरान कुछ फायर सेफ्टी उपकरण और अग्निशमन किट ठीक से काम करते नहीं पाए गए।

इसके बाद संस्थान को तत्काल सभी सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई के दौरान यह भी सामने आया कि कार्रवाई रोकने के लिए विभिन्न स्तरों पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, हालांकि इसके बावजूद नगर निगम की टीम ने जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी की।

गौरतलब है कि हाल के दिनों में कोचिंग संस्थानों में सुरक्षा मानकों को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। लखनऊ की एक कोचिंग में हुए हादसे के बाद प्रदेशभर में जांच अभियान चलाया जा रहा है।

शिक्षकों के तबादलों में मैरिज सर्टिफिकेट की अनिवार्यता खत्म

नप्र, भोपाल : स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वैच्छिक तबादला प्रक्रिया में शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट) जमा करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अब पति-पत्नी के आधार पर तबादले के लिए आवेदन करने वाले शिक्षक मैरिज सर्टिफिकेट के स्थान पर समग्र आईडी, सत्यापित सेवा पुस्तिका की प्रति या अन्य उपयुक्त दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेंगे। लोक शिक्षण आयुक्त अभिषेक सिंह ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग के इस फैसले से उन शिक्षकों को राहत मिलेगी, जो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे थे। दरअसल, 6 जून को जारी तबादला नीति में विवाह प्रमाण पत्र को अनिवार्य नहीं किया गया था, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पर इसे अपलोड करना आवश्यक बताया जा रहा था।

योजना *विकास परियोजनाओं और वित्तीय संसाधनों पर हुई चर्चा ....*

राजधानी का मास्टर प्लान जल्द लागू करने पर मंथन

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजधानी के मास्टर प्लान को शीघ्र लागू करने और नगरीय निकायों को वित्तीय रूप से अधिक सक्षम बनाने को लेकर बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया ने प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ शहर के विकास और वित्तीय सुदृढ़ीकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की।

लालघाटी स्थित वीआईपी गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में नगरीय निकायों और पंचायतों की आय बढ़ाने, आधारभूत संरचना को मजबूत करने तथा जनसुविधाओं के विस्तार पर विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान भोपाल के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान को जल्द लागू करने पर व्यापक सहमति बनी। जनप्रतिनिधियों का मानना था कि मास्टर प्लान लागू होने से शहर के विस्तार, यातायात प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और निवेश की संभावनाओं को नई गति मिलेगी।

बैठक में स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति, आय-व्यय और भविष्य की विकास आवश्यकताओं पर भी चर्चा हुई। आयोग अध्यक्ष पवैया ने कहा कि नगरीय निकायों और पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना आयोग की प्राथमिकता है। उन्होंने राजस्व स्रोत बढ़ाने और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए सुझाव भी आमंत्रित किए। प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप ने नगरीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता मजबूत करने के लिए संपत्ति कर और अन्य राजस्व स्रोतों को बढ़ाने के सुझाव दिए। वहीं सांसद आलोक शर्मा ने बड़ा तालाब संरक्षण, फ्लाईओवर निर्माण, सड़क अधोसंरचना और पर्यटन विकास के लिए समेकित कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता बताई। महापौर मालती राय ने नगर निगम की वित्तीय चुनौतियों और लंबित परियोजनाओं का मुद्दा उठाते हुए विभागों के बीच बेहतर समन्वय तथा राजस्व बढ़ाने की जरूरत बताई। बैठक में विभिन्न विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं और उनके समाधान पर भी चर्चा की गई।